भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2755
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2019

दूरसंचार सेवाप्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा बकायों के भुगतान संबंध अधिस्थगन

2755. डॉ॰ डी॰ रविकुमारः
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), जिन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा लगभग 92000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, ने सरकार से उक्त बकायों के भुगतान हेतु दो वर्ष की अधिस्थगन अवधि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और (ख) दूरसंचार विभाग को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.2019 के निर्णय के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से एजीआर संबंधी बकाया राशि के संबंध में दो वर्षो की अधिस्थगन अवधि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****